भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4326
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

विशिष्ट दत्तक-ग्रहण एजेंसियां

4326. **श्रीमती भारती पारधीः**
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
श्री अरविंद गणपत सावंतः

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) का निरीक्षण किया है;
(ख) यदि हां, तो पाई गई अनियमितताओं का एजेंसीवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है, तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) पिछले 10 वर्षों के दौरान विदेशियों द्वारा भारत से गोद लिए गए बच्चों की देशवार संख्या क्या है;
(घ) क्या भारत सरकार को विदेशियों द्वारा गोद लिए गए बच्चों के अनुचित पालन-पोषण और शोषण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो देशवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या विदेशियों द्वारा गोद लिए गए ऐसे बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाया गया है; और
(च) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): यह मंत्रालय वर्ष 2021 में यथा संशोधित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) का संचालन कर रहा है जो बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 65 (3) के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी का निरीक्षण करना और यदि आवश्यक हो तो जरुरी उपचारात्मक उपाय करने का अधिदेश है।

इसके अलावा, दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 की नियम 27(3) के अनुसार, राज्य सरकार अथवा संबंधित राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों का वार्षिक निरीक्षण करने का अधिदेश है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नियमों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार ठीक से काम कर रहे हैं।

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जेजे अधिनियम, 2015, जेजे नियम 2022 और दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के अनुसार पाई गई अनियमितताओं के आधार पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। मंत्रालय को इस संबंध में अनियमितताओं के बारे में रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग): पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान, भारत से विदेशियों द्वारा दत्तक ग्रहण किये गए बच्चों की संख्या का देश-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ): जी नहीं। सरकार को विदेशियों दत्तक ग्रहण किये गए बच्चों के अनुचित पालन-पोषण और शोषण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च): किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 देश में और देश के बाहर दत्तक ग्रहण किये गए बच्चों के लिए सुरक्षा की परिकल्पना करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत ने अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण में रखे गए सभी बच्चों के लिए बाल संरक्षण सुरक्षोपाय सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2003 में हेग दत्तक ग्रहण सम्मलेन का अनुसमर्थन किया है।

****

अनुलग्नक

"विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों" के संबंध में श्रीमती भारती पारधी,श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे और श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा दिनांक 20.12.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4326 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

विदेशियों द्वारा दत्तक ग्रहण किये गए बच्चों की संख्या का देशवार विवरण		
क्र.सं.	**देश**	**10 साल में दत्तक ग्रहण किये गए कुल बच्चे**
1.	ऑस्ट्रेलिया	7
2.	ऑस्ट्रिया	8
3.	बहरीन	4
4.	बेल्जियम	42
5.	ब्राजील	1
6.	कनाडा	193
7.	चीन	2
8.	चेक गणराज्य	1
9.	डेनमार्क	32
10.	इथोपिया	2
11.	फ़िनलैंड	55
12.	फ्रांस	144
13.	जर्मनी	24
14.	हांगकांग	12
15.	इंडोनेशिया	6
16.	आयरलैंड	1
17.	इटली	1029
18.	जापान	3
19.	केन्या	5
20.	लक्समबर्ग	5
21.	मलेशिया	6
22.	माल्टा	215
23.	मॉरीशस	18
24.	नीदरलैंड	3
25.	न्यूज़ीलैंड	64
26.	नाइजीरिया	1
27.	नॉर्वे	2
28.	फ़िलीपींस	1
29.	सऊदी अरब	1
30.	सिंगापुर	63
31.	दक्षिण अफ्रीका	6
32.	दक्षिण कोरिया	2
33.	स्पेन	517
34.	श्रीलंका	2
35.	स्वीडन	110

36.	स्विट्जरलैंड	11
37.	तंजानिया	2
38.	थाईलैंड	3
39.	तुर्की	2
40.	यू.के.	73
41.	यूएई	252
42.	यूएसए	2031
43.	वियतनाम	2
कुल		**4963**

स्रोत : केयरिंग्स पोर्टल

*****